न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
96/2024	24.7.2024	30/7/2025

मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह आयु 70 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम हिंगोट्या हाल निवासी प्लाट नम्बर 154—155, पवनपुरी बाग के बालाजी के पीछे, बैनाडा रोड, झोंटवाडा, जयपुर —वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी
दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र वादी ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी स्थित सिवायचक भूमि साबिक खसरा नम्बर 80 के बटा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा का वादी काबिज खातेदार काश्तकार हैं। यह भूमि दिनांक 9.11.1975 को सब डिविजनल आफिसर गंगापुर सिटी ने नियमानुसार वादी को अलाटमेन्ट की है तथा दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का ने नियमानुसार वादी को कब्जा दिया है तथा नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 को वादी के के नाम नियमानुसार खुला है। वादी भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नामान्तरकरण, पट्टा कब्जा देने, लेने की रिपोर्ट, आवंटन हेतु आवेदन पत्र, पटवारी रिपोर्ट एवं सब डिविजनल आफिसर गंगापुर सिटी का आवंटन आदेश सेटिलमेंट कार्यवाही आदि की सत्य प्रतिलिपि दावे के साथ संलग्न प्रस्तुत है। वादी पिछले करीब 49 वर्ष से उपरोक्त वर्णित भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उसी दौरान भू—प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही चली और सेटलमेंट विभाग ने साबिक खसरा नम्बर 80 के नये खसरा नम्बर 131 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 हैक्टर कायम किए परन्तु बिना किसी अधिकार के किस्म ... सिवायचक भूमि को चरागाह दर्ज कर दिया। वादी को जो भूमि आवंटित हुई है ... कब्जा संभलाया है यह हाल खसरा नम्बर 145 के उत्तरी तरफ 5 बीघा भूमि है

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:45:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रस्तुत किया गया। जबाब दावे में लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अंकित किया है कि ग्राम हिंगोटिया तहसील गंगापुर सिटी की सम्वत् 2003 की खतौनी बंदोवस्त के अनुसार खसरा नम्बर 328 रकबा 45 बीघा 4 विस्वा चारागाह दर्ज रिकार्ड है। सम्बत् 2019 की खतौनी के खाता संख्या 160 में खसरा संख्या 80 का रकबा 40 बीघा 7 विस्वा चारागाह दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबंदी सम्बत् 2027–30 में खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 विस्वा चारागाह अंकित है। एकीकरण मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 80, खसरा नम्बर 326 रकबा 45 बीघा 4 विस्वा किस्म चारागाह से बना है। नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 21.10.1975 (सेटलमेंट से पूर्व) पर श्रीमान् जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 विस्वा भूमि किस्म चारागाह से सिवायचक दर्ज किया गया। दिनांक 21.10.1975 को जिलाधीश सवाईमाधोपुर के आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 82 स्वीकार किया गया। ग्राम हिंगोटिया तहसील गंगापुर सिटी खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 विस्वा में से बटा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा किस्म सिवायचक का आवंटन वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह राजपूत, सा0देह खातेदार के नाम (सेटिलमेंट से पूर्व) नामान्तरकरण संख्या 88 स्वीकार किया गया। सेटिलमेंट की कार्यवाही के पश्चात् खसरा संख्या 80 के नवीन नम्बर 131 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 हैक्टर किस्म चारागाह भूमि बने हैं। वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 है0 किस्म चारागाह भूमि है। अतः लैण्ड होल्डर की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत है।

वादपत्र एवं जबाब वादपत्र के आधार पर प्रकरण में दिनांक 15.1.2025 को निम्न तनकी कायम की गई :–

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 80 ग्राम हिंगोट्या में से वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह को दिनांक 9.11.1975 को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसका खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा कायम किया जाकर भूमि का कब्जा वादी मूलसिंह को दे दिया गया था एवं इसका गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 को वादी मूलसिंह के नाम दर्ज कर दिया गया। आवंटन के समय से ही वादी इस भूमि पर काबिज काश्त रहा है।

—वादी

2. आया भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 80 के नवीन ख0नं0 131 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 132 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 135 रकबा 0.12 है0, ख0नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

141 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 145 रकबा 3.82 है0 बने है एवं इसकी किस्म चारागाह दर्ज कर दी गई है। —वादी

3. आया हाल भूमि ख0नं0 145 रकबा 3.82 है0 ग्राम हिंगोटया में वादी का उत्तरी ओर की 5 बीघा भूमि पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। —वादी

4. आया भू–प्रवन्ध विभाग द्वारा वादी को आवंटित उपरोक्त 5 बीघा भूमि को भू–प्रवन्ध के दौरान गलत रूप से ख0नं0 145 रकबा 3.82 है0 में शामिल कर चरागाह दर्ज कर दिया है इसलिए वादी उसके कब्जे की उत्तरी दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि की खातेदारी घोषणां अपने नाम करवाने व राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करवाने का अधिकारी हैं। —वादी

5. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल भूमि आवंटन आदेश दिनांक 9.11.1975 भूमि आवंटन ग्राम हिंगोटया खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा वहक मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह ग्राम हिंगोटिया तहसील गंगापुर प्रदर्श–1, नकल भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह निवासी हिंगोटया तहसील गंगापुर बावत् भूमि खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा मय रिपोर्ट पटवारी, कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–2, नकल सिफारिश भूमि आवंटन सलाहकार समिति बावत् भूमि आवंटन वहक मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह निवासी हिंगोटया तहसील गंगापुर बावत् खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा ग्राम हिंगोटया मय भूमि आवंटन आदेश सब डिविजनल आफिसर प्रदर्श–3, नकल कब्जा देने की रिपोर्ट व कब्जा लेने की रिपोर्ट दिनांक 9.11.1975 प्रदर्श–4, नकल नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 ग्राम हिंगोटया प्रदर्श–5, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध प्रदर्श–6, नकल खतौनी जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2039 खाता संख्या 257 प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8, नकल हाल नक्शा ट्रेस सम्वत् 2033–34 ग्राम हिंगोटया प्रदर्श–9, नकल जमावंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम हिंगोटया खाता संख्या 398 प्रदर्श–10, नकल साबिक नक्शा ट्रेस सन् 1962 ग्राम हिंगोटया प्रदर्श–11 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी मूलसिंह पी0डब्लू0–1, बयान गवाह बाबूलाल पुत्र सोहनलाल जाति रैगर निवासी मिर्जापुर ढाणी हिंगोट्या पी0डब्लू0–2, बयान गवाह रूकमणी देवी पत्नी बत्तूलाल जाति गुर्जर निवासी ... पी0डब्लू0–3 कराया हैं। इनके अतिरिक्त फोटोकोपी आधार कार्ड ... प्रस्तुत किए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जवाब दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं एवं कोई मौखिक साक्ष्य भी नहीं कराई है।

वादपत्र पर विद्वान अभिभाषक वादीगण एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वाद पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादी को ग्राम हिंगोटया में दिनांक 9.11.1975 को 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसका खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा कायम हुआ एवं पटवारी हल्का द्वारा वादी मूलसिंह को इस 5 बीघा भूमि का दिनांक 9.11.1975 को कब्जा संभलाया गया। इसके बाद नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 द्वारा यह भूमि वादी के नाम गैरखातेदारी में दर्ज की गई। वादी को भूमि आवंटन के समय आवंटित भूमि सिवायचक रही है एवं सिवायचक भूमि ही वादी को आवंटित की गई है। वादी के नाम हुए इस भूमि आवंटन के समय तहसील गंगापुर सिटी में भू–प्रबन्ध का कार्य चल रहा था। भू–प्रबन्ध के दौरान वादी को आवंटित भूमि ख0नं0 80/3 का पृथक से कोई नम्बर नहीं बनाया गया है बल्कि मूल खसरा नम्बर 80 का नवीन खसरा नम्बर 131 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 हैक्टर बनाया जाकर इसको चारागाह के रूप में दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी को आवंटित भूमि जो कि सिवायचक रही है, को गलत रूप से चारागाह दर्ज कर दिया गया है एवं वादी को आवंटित भूमि का पृथक से नवीन खसरा नम्बर नहीं बनाया जाकर वादी को आवंटित भूमि को वर्तमान खसरा नम्बर 145 में शामिल कर दिया गया है एवं भूमि की किस्म सिवायचक से चारागाह दर्ज कर दी गई है जो गलत है। भू–प्रबन्ध विभाग को वादी के नाम आवंटित गैरखातेदारी की भूमि की किस्म परिवर्तन करने का एवं भूमि को राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग पूर्वानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियां दोहराने का ही अधिकार रखता है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई यह कार्यवाही पूर्णतया विधि विरुद्ध है एवं कानून की नजर में शून्य व प्रभावहीन है। वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे कहा कि इस सम्बन्ध में विभिन्न अपीलीय न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए गए हैं तथा वादी के विद्वान अभिभाषक ने इस सम्बन्ध में न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 [illegible] 17 पृष्ठ 74, आर0आर0टी0 2022 (2) पृष्ठ 892, आर0आर0टी0 2024 (2) पृष्ठ 1296, आर0आर0टी0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

2023 (1) पृष्ठ 44 प्रस्तुत किए हैं। वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे कहा कि भूमि हाल खसरा नम्बर 145 के उत्तरी तरफ 5 बीघा भूमि यानि 1.25 हैक्टर भूमि ग्राम हिंगोट्या पर वादी का पिछले 49 वर्ष से कब्जा काश्त है, वादी के कब्जे की यह भूमि पूर्व में वादी की आवंटनशुदा गैरखातेदारी की भूमि रही है जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादी की आवंटनशुदा इस 5 बीघा भूमि को जिसे भू–प्रबन्ध विभाग ने विधि विरूद्ध तरीके से हाल खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 है0 में शामिल कर चारागाह के रूप में दर्ज कर दिया है, में से 1.25 है0 भूमि को वादी की खातेदारी में दर्ज की जाकर इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह उपरोक्त वर्णित 1.25 है0 भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादी को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे न ही अपने कार्मिकों से करवावे। वादी का दावा इसी प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कहा कि प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है एवं वादी को अपना वाद प्रमाणित करना है। भूमि पर कब्जा भी वादी को ही प्रमाणित करना है। भूमि वर्तमान में चारागाह दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में राजकीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित फरमाया जावे।

रिबटल में वादी के विद्वान अभिभाषक ने पूर्व में की गई अपनी बहस के अनुरूप वादी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया है। साथ ही वादी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की है।

लिखित बहस में वादी की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक ने अंकित किया है कि वादी ने दिनांक 22.7.2024 को वर्तमान दावा बाबत् घोषणां, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है कि "ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी स्थित सिवायचक भूमि साबिक खसरा नम्बर 80 के बटा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा का वादी काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि दिनांक 9.11.1975 को सब डिविजनल आफिसर गंगापुर सिटी ने नियमानुसार वादी को अलाटमेंट की है तथा दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हलका ने नियमानुसार वादी [illegible] नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 को वादी के नाम नियमानुसार खुला है। वादी भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नामान्तरकरण, पट्टा, कब्जा देने, लेने की रिपोर्ट, आवंटन हेतु आवेदन पत्र, पटवारी रिपोर्ट एवं सब डिविजनल आफिसर गंगापुर सिटी का आवंटन आदेश सेटिलमेंट कार्यवाही आदि की सत्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रतिलिपि दावे साथ प्रस्तुत है। वादी पिछले 49 वर्ष से भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार है। उसी दौरान भू-प्रबन्ध की कार्यवाही चली और भू-प्रबन्ध विभाग ने साबिक खसरा नम्बर 80 के नये खसरा नम्बर 131 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 हैक्टर कायम किए परन्तु बिना किसी अधिकार के विधि विरूद्ध तरीके से सिवायचक भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया। वादी को जो भूमि आवंटित हुई है एवं वादी को कब्जा संभलाया है वह हाल खसरा नम्बर 145 के उत्तरी तरफ 5 बीघा भूमि है जिस पर वादी पिछले 49 वर्ष से काबिज है तथा भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार हैं। सेटलमेंट अधिकारियों को भूमि की किस्म सिवायचक से चारागाह में परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं था। सेटिलमेंट विभाग द्वारा की गई कार्यवाही विरूद्ध कानून शून्य व प्रभावहीन है। दिनांक 25.6.2024 को वादी अपने उक्त खेत की सफाई कर रहा था तब हलका पटवारी ने कहा कि यह भूमि चारागाह भूमि दर्ज है इसे काश्त नहीं करने को कहा। इसके बाद वादी ने रेवन्यु रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की तब सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से की गई कार्यवाही की जानकारी हुई। उक्त विधि विरूद्ध कार्यवाही के कारण वादी के भूमि में उसके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वादी को अतुल्यनीय हानि हो रही है। सेटिलमेंट विभाग अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकार के विधि विरूद्ध तरीके से की गई कार्यवाही शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया जाना एवं वादी के नाम 5 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

वादी ने रिलीफ चाही है कि "दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की प्रदान की जावे कि वादी ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी स्थित साबिक भूमि खसरा नम्बर 80 के बटा खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा जिसका हाल ख0नं0 145 में से उत्तर दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार है तथा हाल खसरा नम्बर 145 में से उत्तर की ओर 1.25 है0 भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराकर रेवन्यु रिकार्ड में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त उपभोग उपयोग में दखल नहीं दे।"

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार ... जवाब दावा प्रस्तुत किया है कि "ग्राम हिंगोट्या तहसील ... संवत् 2003 की खतौनी बन्दोवस्त के अनुसार खाता संख्या 34 खसरा नम्बर 328 रकबा 45 बीघा 4 बिस्वा चारागाह दर्ज रिकार्ड है। सम्बत् 2019 की खतौनी के खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कल., गंगापुर सिटी (सo...)

160 में खसरा नम्बर 80 का रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा चारागाह दर्ज है तथा जमाबंदी सम्वत् 2027–30 में खसरा नम्बर 80 का रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा चारागाह दर्ज है। एकीकरण मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 80, खसरा नम्बर 326 रकबा 45 बीघा 4 बिस्वा किस्म चारागाह से बना है। नामान्तरकरण संख्या 82 (सेटिलमेन्ट से पूर्व) पर श्रीमान् जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म चारागाह से सिवायचक दर्ज किया गया। दिनांक 21.10.1975 को जिलाधीश सवाईमाधोपुर के आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 82 स्वीकार किया गया। ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा में से बटा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा किस्म सिवायचक का आवंटन वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम (सेटिलमेंट से पूर्व) नामान्तरकरण संख्या 88 स्वीकार किया गया। सेटिलमेंट की कार्यवाही के पश्चात् खसरा नम्बर 80 के नवीन खसरा नम्बर 131 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 हैक्टर किस्म चारागाह भूमि बने हैं। वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 हैक्टर किस्म चारागाह भूमि है।"

प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम हुई हैः–

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 80 ग्राम हिंगोट्या में से वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह को दिनांक 9.11.1975 को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसका खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा कायम किया जाकर भूमि का कब्जा वादी मूलसिंह को दे दिया गया था एवं इसका गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 को वादी मूलसिंह के नाम दर्ज कर दिया गया।

——वादी

2. आया भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 80 के नवीन खसरा नम्बर 131 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 हैक्टर कायम किये गये है एवं इसकी किस्म चरागाह दर्ज कर दी गई है।

——वादी

Signature Not Verified

3. आया हाल भूमि ख0नं0 145 रकबा 3[illegible]ाम हिंगोटया में वादी का उत्तर दिशा की 5 बीघा भूमि [illegible] आ रहा है।

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

——वादी

4. आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी को आ[illegible]त उपरोक्त 5 बीघा भूमि को भू–प्रबन्ध के दौरान गलत रूप से ख0नं0 145 रकबा 3.82 है0 में शामिल कर

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कल[illegible]
गंगापुर सिटी (रा0[illegible]

चरागाह दर्ज कर दिया है इसलिए वादी उसके कब्जे की उत्तरी दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि की खातेदारी घोषणां अपने नाम करवाने व राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी हैं। ——वादी

5. अनुतोष ।

वादीगण ने साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 मूलसिंह वादी के एवं पी0डब्लू0 2 बाबूलाल, पी0डब्लू0 3 रूकमणी देवी के बयान कराये हैं तथा प्रदर्श–1 उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी का आवंटन आदेश दिनांक 9.11.1975, प्रदर्श–2 आवंटन आवेदन पत्र मय रिपोर्ट पटवारी, प्रदर्श–3 आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा रिपोर्ट मय सब डिविजनल आफिसर के आदेश दिनांक 9.11.1975, प्रदर्श–4 हलका पटवारी द्वारा मूलसिंह को कब्जा देने की रिपोर्ट, प्रदर्श–5 नामान्तरकरण संख्या 88 जिसके द्वारा आवंटित भूमि मूलसिंह के नाम दर्ज की गई। प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग, प्रदर्श–7, प्रदर्श–8 जमाबंदी सं0 2038 भू–प्रबन्ध विभाग, प्रदर्श–9 रेवन्यु ट्रेस सम्वत् 2033–34, प्रदर्श–10 जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, प्रदर्श–11 रेवन्यु ट्रेस सन् 1962 की सत्यप्रतिलिपियां पेश की है। वादी मूलसिंह, गवाह बाबूलाल, रूकमणी के आधार कार्ड की फोटोप्रति एवं फोटो पेश किए हैं। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

प्रदर्श–2 आवेदन पत्र से दर्शित है कि वादी मूलसिंह ने नियमानुसार भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र साबिक खसरा नम्बर 80 बटा नम्बर 80/3 में 5 बीघा भूमि आवंटन बाबत् आवेदन किया है जिस पर पटवारी हलका ने आवंटन किया जाना उचित है की रिपोर्ट की है तथा सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी सलाहकार समिति ने प्रदर्श–3 दस्तावेज के जरिए आवंटन किए जाने की अभिशंषा की है। जिस पर सब डिविजनल आफिसर ने दिनांक 9.11.1975 को नियमानुसार वादी मूलसिंह को ग्राम हिंगोट्या स्थित भूमि खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा आवंटित की है तथा पटवारी हलका ने अलोटी मूलसिंह को प्रदर्श–4 कब्जा देने की रिपोर्ट तैयार कर अलोटी को कब्जा दिया है तथा अलोटी मूलसिंह ने भूमि पर कब्जा प्राप्त कर अपने हस्ताक्षर किए तथा इस आवंटन का नामान्तरकरण संख्या 88 वादी मूलसिंह के नाम खुला है। वादी पी0डब्लू0 1 मूलसिंह ने विस्तार से अपने बयान दर्ज कराए हैं। दस्तावेज प्रदर्श कराए हैं तथा गवाह पी0डब्लू0 2 बाबूलाल, पी0डब्लू0 3 रूकमणी ने अपने बयानो में बताया है कि वे ... कब्जा है तथा पिछले 49 वर्ष से अधिक समय से भूमि पर वादी मूलसिंह का कब्जा काश्त देख रहे हैं। इस प्रकार दसतावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित है कि वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कले..
गंगापुर सिटी (स0मा..)

उपरोक्तानुसार नियमानुसार भूमि आवंटित हुई है जिस पर वादी का कब्जा है तथा वादी भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तय किया जाना उचित है। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 80 के हाल खसरा नम्बर 131, 132, 135, 141, 145 बनना एवं भूमि की किस्म चारागाह दर्ज करना, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6, जमाबंदी प्रदर्श–7, प्रदर्श–8 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में तय किया जाना न्यायोचित है। प्रदर्श–4 कब्जा रिपोर्ट, प्रदर्श–45 वादी के नाम खुले नामान्तरकरण वादी के बयान वादी द्वारा पेश दस्तावेजात एवं गवाह बाबूलाल, रूकमणी के बयान एवं साबिक हाल नक्शा ट्रेस के मिलान से साबित है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 है0 ग्राम हिंगोट्या में वादी का उत्तरी ओर की 5 बीघा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में तय किया जाना न्यायोचित है। प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–5 से स्पष्ट साबित है कि वादी को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई जिस पर वादी काबिज हैं तथा प्रदर्श–6 लगायत प्रदर्श–11 दस्तावेजात से साबित है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से भूमि को चारागाह दर्ज किया है तथा दस्तावेज एवं वादी एवं साक्षी बाबूलाल, रूकमणी के बयान से साबित है कि वादी हाल खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 हैक्टर में से उत्तर दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि पर काबिज है तथा इस आशय की वादी घोषणा करा भूमि की खातेदारी अपने नाम लगवाने का अधिकारी हैं तथा राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 4 वादी के पक्ष में तय किया जाना न्यायोचित है। दावा वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तनकीवाइज विवेचना एवं निर्णय निम्न प्रकार है–

<u>तनकी नम्बर 1:–</u> आया भूमि साबिक ख0नं0 80 ग्राम हिंगोट्या में से वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह को दिनांक 9.11.1975 को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसका खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा कायम किया जाकर भूमि का कब्जा वादी मूलसिंह को दे दिया गया था एवं इसका गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 को वादी मूलसिंह के नाम दर्ज कर दिया गया। आवंटन के समय से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहा है। —वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादी ने नकल भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र प्रदर्श–2 प्रस्तुत की है। इस आवंटन प्रार्थना पत्र से यह प्रमाणित है कि वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह ने ग्राम हिंगोट्या में

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलं...
...पुर सिटी (स0मा...)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ... सिटी (स0मा0)

स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा के आवंटन के लिए सब–डिवीजनल आफिसर गंगापुर के समक्ष दिनांक 9.11.1975 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग पर तत्कालीन पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि आवेदक मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत उम्र 25 वर्ष ग्राम गंगापुर का रहने वाला है। आवेदक का मुख्य धन्धा कृषि मजदूरी है। आवेदक की वार्षिक आमदनी 1000/–रू0 है। आवेदक के नाम भूमि नहीं है। आवेदक के परिवार में 6 सदस्य हैं जो पूर्णतया उस पर निर्भर है। आवेदक जिस खेत को चाहता है वह पडत है। वादी के इस आवेदन पर भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने सिफारिश की है जिसकी नकल प्रदर्श–3 वादी ने प्रस्तुत की है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी गंगापुर को आराजी ख0नं0 80/3 रकबा 5 बीघा वाके हिंगोट्या तहसील गंगापुर आवंटित करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश पर आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य सरपंच, विकास अधिकारी, विधायक के हस्ताक्षर हैं। इस सिफारिश के पृष्ठ भाग पर दिनांक 9.11.1975 को सब–डिवीजनल आफिसर ने आवंटन सलाहकार समिति की राय के अनुसार मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह को ख0नं0 80/3 रकबा 5 बीघा भू–आवंटन का आदेश दिया व पटवारी हल्का को कब्जा देने हेतु लिखा गया। इसी आवंटन आदेश के नीचे सब डिवीजनल आफिसर द्वारा दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का को यह लिखा कि एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि श्री मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत ग्राम हिंगोट्या को भूमि ख0नं0 80/3 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम हिंगोट्या का आवंटन दिनांक 9.11.1975 को कर दिया गया है। अतः आवंटन की एक सप्ताहान्तर्गत नियमानुसार कब्जा दिया जावे और तदनुसार रिपोर्ट तामील प्रेषित की जावे। इसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 9.11.1975 को अलोटशुदा आराजी खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम हिंगोट्या का कब्जा अलोटी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी हिंगोट्या को गवाह विमलचन्द पुत्र कपूरचन्द जाति जैन निवासी मिर्जापुर व विशन्या पुत्र ग्यारसा रैगर निवासी हिंगोट्या के समक्ष संभलाया और इस पर अलोटी के कब्जा प्राप्त करने के हस्ताक्षर हैं। यह कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–4 है। वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह को दिनांक 9.11.1975 को ग्राम हिंगोट्या के खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा की सब डिवीजनल आफिसर द्वारा किए गए भूमि आवंटन के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि वादी ने प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–1 है। वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह को दिनांक 9.11.1975 को हुए भूमि आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

भूमि खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जो दिनांक 19.3.1976 को स्वीकार किया गया। इस नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा का गैरखातेदारी इन्द्राज भूमि आवंटी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत के नाम किया गया है। इस नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि वादी ने प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–5 है। वादी की ओर से प्रस्तुत कब्जा देने व लेने की रिपोर्ट दिनांक 9.11.1975 प्रदर्श–4 के अनुसार वादी को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का कब्जा दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का ने सब डिविजनल आफिसर के आदेशानुसार गवाह विमलचन्द पुत्र कपूरचन्द जाति जैन निवासी मिर्जापुर व श्री विशन्या पुत्र ग्यारसा जाति रैगर निवासी हिंगोट्या की उपस्थिति में संभलाया है। इस कब्जा रिपोर्ट से भूमि खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोटया पर कब्जा इस भूमि के आवंटी वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह का होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जवाब दावे में भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 विस्वा में से बटा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा किस्म सिवायचक का आवंटन वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह के नाम होना व इस आवंटन के आधार पर वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह के नाम नामान्तरकरण संख्या 88 स्वीकार किया है।

इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में वर्णित तथ्य के अनुसार वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह के नाम भूमि ख०नं० 80/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का दिनांक 9.11.1975 को आवंटन होना, दिनांक 9.11.1975 को इस आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह को दिया जाना एवं मूलसिंह को आवंटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 के माध्यम से भूमि आवंटी मूलसिंह के नाम गैरखातेदारी में दर्ज होने का तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। चूंकि वादी की ओर से प्रस्तुत कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–4 के अनुसार भूमि के आवंटी वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह को [illegible] आवंटित भूमि ख०नं० 80/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम [illegible] जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है एवं कब्जे के सम्बन्ध में प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने कोई आपत्ती या विरोधाभासी तथ्य अपने जवाब में अंकित नहीं किया है तथा ना ही इस तरह का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

जिससे वादग्रस्त भूमि पर वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह का कब्जा नहीं रहा हो। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह का कब्जा माना जावेगा।

फलस्वरूप वादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2:– आया भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 80 के नवीन ख0नं0 131 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 132 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 135 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 141 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 145 रकबा 3.82 है0 बने है एवं इसकी किस्म चरागाह दर्ज कर दी गई है। ––वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से प्रस्तुत नकल भूमि आवंटन आदेश दिनांक 9.11.1975 के अनुसार वादी को खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित हुई है। इस आवंटन आदेश में भूमि की किस्म बा03 अंकित की गई है एवं लगान 0.78 दर्ज किया गया है। इसके अनुसार यह प्रमाणित होता है कि वादी को भूमि आवंटन के समय भूमि की किस्म सिवायचक रही है। वादी की ओर से प्रस्तुत नकल नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 प्रदर्श–5 के कालम संख्या 5 में भूमि सिवायचक दर्ज की हुई है। इससे यह भलीभांति प्रमाणित हो जाता है कि वादी को जब भूमि आवंटित की गई थी उस समय भूमि की किस्म सिवायचक रही है। वादी की ओर से प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–6 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 145रकबा 3.82 है0 कायम किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत नकल खतौनी जमाबंदी भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2039 खाता संख्या 258 ग्राम हिंगोट्या प्रदर्श–7, प्रदर्श–8 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 है0 चारागाह दर्ज की गई है। वादी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 398 ग्राम हिंगोट्या प्रदर्श–10 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 3.21 है0 चारागाह दर्ज है।

इसके अतिरिक्त प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 21.10.1975 (सेटलमेंट से पूर्व) पर ... के आदेशानुसार खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म चारागाह से सिवायचक दर्ज की गई। दिनांक 21.10.1975 को जिलाधीश सवाईमाधोपुर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 82 स्वीकार किया गया। ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी में स्थित खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा में से बटा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा किस्म सिवायचक का आवंटन वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह राजपूत के नाम (सेटलमेंट से पूर्व) नामान्तरकरण संख्या 88 स्वीकार किया गया। सेटलमेंट की कार्यवाही के पश्चात् खसरा संख्या 80 के नवीन नम्बर 131 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 132 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 135 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 141 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 145 रकबा 3.82 है0 किस्म चारागाह भूमि बने हैं। वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 है0 किस्म चारागाह भूमि है।

इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत नकल भूमि आवंटन आदेश दिनांक 9.11.1975 प्रदर्श–1, नकल नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 प्रदर्श–5 तथा प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में अंकित तथ्यों के अनुसार भूमि साबिक खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा ग्राम हिंगोट्या का सेटलमेंट में नवीन खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 हैक्टर बनाया जाकर इसे सिवायचक के स्थान पर चारागाह दर्ज कर दिया गया है।

फलस्वरूप वादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर तनकी नम्बर 2 वादी के पक्ष में स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर 3:–</u> आया हाल भूमि ख0नं0 145 रकबा 3.82 है0 ग्राम हिंगोटया में वादी का उत्तरी ओर की 5 बीघा भूमि पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है।

——वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी ने नकल भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है। इस आवंटन प्रार्थना पत्र से यह प्रमाणित है कि वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह ने ग्राम हिंगोट्या में स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा के आवंटन के लिए सब–डिवीजनल आफिसर गंगापुर के समक्ष दिनांक 9.11.1975 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वादी के इस आवेदन पर भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने सिफारिश की है जिसकी नकल प्रदर्श–3 वादी ने प्रस्तुत की है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने मूलसिंह पुत्र [illegible] साकिन हिंगोट्या को आराजी ख0नं0 80/3 रकबा [illegible] आवंटित करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश पर [illegible] सलाहकार समिति के सदस्य सरपंच, विकास अधिकारी, विधायक के हस्ताक्षर [illegible]। इस सिफारिश के पृष्ठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

भाग पर दिनांक 9.11.1975 को सब–डिवीजनल आफिसर ने आवंटन सलाहकार समिति की राय के अनुसार मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह को ख0नं0 80/3 रकबा 5 बीघा भू–आवंटन का आदेश दिया व पटवारी को कब्जा देने हेतु लिखा गया। इसी आवंटन आदेश के नीचे सब डिवीजनल आफिसर द्वारा दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का को यह लिखा कि एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि श्री मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह को भूमि ख0नं0 80/3 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम हिंगोट्या का आवंटन दिनांक 9.11.1975 को कर दिया गया है। अतः आवंटन की एक सप्ताहान्तर्गत नियमानुसार कब्जा दिया जावे और तदनुसार रिपोर्ट तामीली प्रेषित की जावे। इसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 9.11.1975 को अलोटशुदा आराजी खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम हिंगोट्या का कब्जा अलोटी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह को गवाह विमलचन्द पुत्र कपूरचन्द जाति जैन निवासी मिर्जापुर व विशन्या पुत्र ग्यारस्या जाति रैगर निवासी हिंगोट्या के समक्ष संभलाया और इस पर अलोटी के कब्जा प्राप्त करने के हस्ताक्षर है। यह कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–4 है। वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह को दिनांक 9.11.1975 को ग्राम हिंगोट्या के खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा में सब डिवीजनल आफिसर द्वारा किए गए भूमि आवंटन के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि वादी ने प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–1 है। वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह को दिनांक 9.11.1975 को हुए भूमि आवंटन भूमि खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जो दिनांक 19.3.1976 को स्वीकार किया गया। इस नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा का गैरखातेदारी इन्द्राज भूमि आवंटी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत के नाम किया गया है। इस नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि वादी ने प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–5 है। वादी की ओर से प्रस्तुत कब्जा देने व लेने की रिपोर्ट दिनांक 9.11.1975 प्रदर्श–4 के अनुसार वादी को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का कब्जा दिनांक 9.11.1975 को पटवारी हल्का ने सब डिविजनल आफिसर के आदेशानुसार गवाह विमलचन्द पुत्र कपूरचन्द जाति जैन निवासी मिर्जापुर व विशन्या पुत्र ग्यारसा जाति रैगर निवासी हिंगोट्या की उपस्थिति [illegible] को संभलाया है। इस कब्जा रिपोर्ट से भूमि खसरा [illegible] 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोटया पर कब्जा इस भूमि [illegible] पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत का होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:45:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब दावे में भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा में से बटा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा किस्म सिवायचक का आवंटन वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह के नाम होना व इस आवंटन के आधार पर वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत के नाम नामान्तरकरण संख्या 88 स्वीकार किया है।

इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में वर्णित तथ्य के अनुसार वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत के नाम भूमि ख0नं0 80/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का दिनांक 9.11.1975 को आवंटन होना, दिनांक 9.11.1975 को इस आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी मूलसिंह को दिया जाना एवं मूलसिंह को आवंटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 के माध्यम से भूमि आवंटी मूलसिंह के नाम गैरखातेदारी में दर्ज होने का तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। चूंकि वादी की ओर से प्रस्तुत कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–4 के अनुसार भूमि के आवंटी वादी मूलसिंह को उसे आवंटित भूमि ख0नं0 80/3 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम हिंगोट्या का कब्जा दिया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है एवं कब्जे के सम्बन्ध में प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने कोई आपत्ती या विरोधाभासी तथ्य अपने जबाब में अंकित नहीं किया है तथा ना ही इस तरह का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर वादी मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह का कब्जा नहीं रहा हो। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वादी मूलसिंह का कब्जा प्रमाणित है।

वादी की ओर से प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–6 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 है0 बनाया गया है एवं वादी की ओर से प्रस्तुत नकल खतौनी जमाबंदी भू–प्रबन्ध विभाग सम्बत् 2039 खाता संख्या 258 ग्राम हिंगोट्या प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्बत् 2071–2074 खाता संख्या 398 ग्राम हिंगोट्या प्रदर्श–10 के अनुसार यह खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 है0 चारागाह दर्ज किया हुआ है। वादी की ओर से प्रस्तुत नकल कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–4 के अनुसार वादी को ग्राम हिंगोट्या में आवंटित भूमि साबिक ख0नं0 80/3 रकबा 5 बीघा का [illegible] दिनांक 9.11.1975 को भूमि आवंटी मूलसिंह को संभलाया [illegible] नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6 के अनुसार [illegible] खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 है0 बना है अतः साबिक खसरा नम्बर [illegible] से बने हाल खसरा नम्बर 145 में वादी मूलसिंह का कब्जा रहा है क्योंकि प्रतिवादी लैण्ड होल्डर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने इस नम्बर में भूमि के आवंटी मूलसिंह का कब्जा नहीं होने सम्बन्धी कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यही माना जावेगा कि वादी मूलसिंह का उसको आवंटित भूमि ख0नं0 80/3 रकबा 5 बीघा पर उसे कब्जा संभलाने की दिनांक 9.11.1975 से निरन्तर कब्जा रहा है एवं भू–प्रबन्ध के दौरान इस नम्बर से जो नवीन नम्बर कायम हुआ है उसमें भी भूमि आवंटी मूलसिंह का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। इसलिए मूलसिंह को आवंटित भूमि साबिक खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा के मूल नम्बर 80 से बने नवीन खसरा नम्बर 145 में 1.25 है0 भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू0 2 बाबूलाल पुत्र सोहनलाल जाति रैगर उम्र 66 वर्ष निवासी मिर्जापुर ढाणीं हिंगोट्या ने मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत स्वयं के शपथ पत्र में यह अंकित किया है वह मिर्जापुर का निवासी है व कृषक है। ग्राम हिंगोट्या स्थित 5 बीघा भूमि पर पिछले 49 वर्ष से अधिक समय से मूलसिंह का कब्जा काश्त वह देखता चला आ रहा है। इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0 3 रूकमणी देवी पत्नी बाबूलाल उम्र 70 साल जाति गुर्जर निवासी हिंगोट्या ने मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत स्वयं के शपथ पत्र में यह अंकित किया है वह हिंगोट्या की निवासी है व कृषक है। ग्राम हिंगोट्या स्थित 5 बीघा भूमि पर पिछले 49 वर्ष से अधिक समय से मूलसिंह का कब्जा काश्त वह देखती चली आ रही है।

वादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात, मौखिक साक्ष्य एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि भूमि आवंटन की दिनांक 9.11.1975 से वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। वादी को कब्जा दिए जाने के बाद से प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि भूमि आवंटी मूलसिंह को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर भूमि आवंटी मूलसिंह का उसे आवंटित भूमि पर कब्जा संभलाने की दिनांक 9.11.1975 से निरन्तर कब्जा माना जावेगा।

फलस्वरूप वादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर तनकी वादी के पक्ष में प्रमाणित है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर 4:–</u> आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी को आवंटित उपरोक्त 5 बीघा भूमि को भू–प्रबन्ध के दौरान गलत रूप से ख0नं0 145 रकबा 3.82 है0 में शामिल कर चरागाह दर्ज कर दिया है इसलिए वादी उसके कब्जे की

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्र.) गंगापुर सिटी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उत्तरी दिशा की ओर की 1.25 है0 भूमि की खातेदारी घोषणां अपने नाम करवाने व राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी हैं। —वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से प्रस्तुत नकल भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह बाबत् भूमि ख0नं0 80/3 रकबा 5 बीघा ग्राम हिंगोट्या, इस भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र पर की गई पटवारी रिपोर्ट, भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश प्रदर्श–3, भूमि आवंटन आदेश प्रदर्श–1, आवंटित भूमि का कब्जा देने व लेने की रिपोर्ट प्रदर्श–4 के अनुसार वादी मूलसिंह को ग्राम हिंगोट्या की भूमि ख0नं0 80/3 रकबा 5 बीघा दिनांक 9.11.1975 को आवंटित होना प्रमाणित है। इस आवंटनशुदा भूमि का गैरखातेदारी का इन्द्राज मूलसिंह के नाम नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 प्रदर्श–5 से होना प्रमाणित है। नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–6 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 80/3 से पृथक से कोई नवीन नम्बर कायम नहीं किया गया है बल्कि मूल खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 विस्वा से नवीन खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 है0 कायम किया गया है एवं इस नवीन खसरा नम्बर 145 में वादी मूलसिंह को आवंटित 5 बीघा भूमि भी शामिल कर दी गई है। यह तथ्य वादी की ओर से प्रस्तुत साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–11 एवं हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–9 के अवलोकन से विदित है। वादी की ओर से प्रस्तुत नकल नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 19.3.1976 प्रदर्श–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 विस्वा ग्राम हिंगोटया राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रहा है एवं भूमि की किस्म सिवायचक रही है तथा इसी खसरा नम्बर में से मूलसिंह को खसरा नम्बर 80/3 के रूप में 5 बीघा भूमि आवंटन होने पर गैरखातेदारी का नामान्तरकरण मूलसिंह के नाम दर्ज हुआ है। भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 40 बीघा 7 विस्वा नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 21.10.1975 (सेटलमेंट से पूर्व) श्रीमान् जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार चारागाह से सिवायचक दर्ज किया गया है, यह तथ्य प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब दावे में स्पष्ट रूप से अंकित किया है तथा इसी नम्बर में से बटा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा सिवायचक का आवंटन मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह के हक में किए जाने का व नामान्तरकरण संख्या 88 द्वारा मूलसिंह के नाम दर्ज होने का तथ्य भी प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है। इससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान खसरा नम्बर 145 का पूर्व खसरा नम्बर 80 सिवायचक दर्ज रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी जमाबंदी सं0 2039 खाता संख्या 258 ग्राम हिंगोटया में वर्तमान खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 है0 को चारागाह भूमि के रूप में दर्ज किया गया है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादी को सिवायचक भूमि में से भूमि आवंटन हुआ है जिस पर वादी काबिज हैं। भू–प्रबन्ध विभाग को भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक अभिलेख के अनुसार ही नवीन अभिलेख तैयार करना चाहिए था। किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना भूमि चारागाह दर्ज करने का भू–प्रबन्ध विभाग को अधिकार नहीं था। इस सम्बन्ध में वादी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 2016–17(सप्ली.) आर0आर0टी0 74 का अवलोकन किया गया। इस न्याय दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दु के रूप में यह अवधारित किया गया है कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं की जा सकती है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मूलसिंह को सिवायचक भूमि में से भूमि आवंटित हुई थी एवं तदनुसार भू–प्रबन्ध विभाग को गत अभिलेख के अनुसार मूलसिंह को आवंटित भूमि का पृथक से नम्बर बनाकर उसे आवंटी मूलसिंह की गैरखातेदारी में दर्ज करना चाहिए था परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम आदेश के आवंटी मूलसिंह की भूमि उसके नाम तो दर्ज की ही नहीं बल्कि इसे चारागाह भूमि के रूप में दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। भू–प्रबन्ध अधिकारियों को साबिक अभिलेख के अनुसार ही वर्तमान अभिलेख में प्रविष्टियां की जानी चाहिए थी परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ऐसा नहीं कर दोहरी गलती की है। प्रथम तो भू–प्रबन्ध विभाग ने साबिक अभिलेख के अनुसार वादी के नाम आवंटित भूमि को वादी के नाम दर्ज नहीं किया बल्कि भूमि राजकीय खाते में दर्ज कर दी। दूसरा भू–प्रबन्ध विभाग को साबिक अभिलेख के अनुसार भूमि की किस्म सिवायचक दर्ज करनी चाहिए थी परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने इसे चारागाह भूमि के रूप में दर्ज कर दिया।

वादी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 2023(1) आर0आर0टी0 44 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने यह अंकित किया है कि जहां तक सेटलमेंट विभाग का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि कोई भी सेटलमेंट अधिकारी या कर्मचारी बिना [illegible] के निर्णय एवं डिक्री के राजस्व रिकार्ड की पूर्व प्रविष्टि को [illegible] नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी प्रस्तुत प्रकरण [illegible] किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के विवादित भूमि को चारागाह में दर्ज कर दिया है जो किसी भी प्रकार विधिसम्मत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

इस प्रकार प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों के अवलोकन से एवं वादी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख व मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने साबिक अभिलेख के अनुसार वादी मूलसिंह को आवंटित एवं कब्जेशुदा भूमि साबिक ख0नं0 80/3 रकबा 5 बीघा मूलसिंह के नाम अंकित नहीं कर इसे वर्तमान खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 है0 में शामिल कर चारागाह भूमि के रूप में दर्ज कर दिया है जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। चूंकि वादी भूमि का आवंटी हैं इसलिए उसे वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 3.82 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या में उसके कब्जे की भूमि को अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकार है एवं इस भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है।

फलस्वरूप वादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात, न्याय दृष्टान्त एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर तनकी नम्बर 4 वादी के पक्ष में प्रमाणित है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नम्बर 5:–</u> अनुतोष ।

तनकी संख्या 1, 2, 3, 4 मे किये गये विस्तृत विवेचन एवं निर्णय के अनुसार ये तनकीयात वादी के पक्ष मे निर्णित हुई है।

वादी मूलसिंह को दिनांक 9.11.1975 को ग्राम हिगोटिंया मे भूमि साबिक ख0न0 80/3 रकबा 5 बीघा आंवटित हुई थी जो भूमि आवंटन आदेश प्रदर्श–1 से स्पष्ट है। इस आवंटित भूमि का कब्जा वादी को दिनांक 09.11.75 को संभलाया गया है जो कब्जा देने व लेने की रिपोर्ट प्रदर्श–4 से स्पष्ट है। वादी को दिनांक 9.11.75 को भूमि ख0न0 80/3 रकबा 5 बीघा के आवंटन का नामातकरण संख्या 88 दिनांक 19.03.1976 आवंटी मूलसिंह के नाम गैरखातेदार के रूप मे दर्ज हुआ है जो नकल नामान्तकरण प्रदर्श–5 से स्पष्ट है। भू–प्रबन्ध के दौरान भूमि ख0न0 80/3 का पृथक से कोई नम्बर नही बनाकर इसके मूल ख0न0 80 रकबा 40 बीघा 7 बिस्वा से नवीन ख0न0 145 रकबा 3.82 है0 कायम किया गया है जो नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6 से स्पष्ट है। नकल भू–प्रबन्ध जमाबंदी सम्वत् 2039 खाता संख्या 258 के अनुसार भूमि ख0न0 145 रकबा 3.82 है0 चारागाह के रूप मे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज की गई है जो प्रदर्श–5 से स्पष्ट है। वर्तमान मे भूमि ख0न0 145 रकबा 3.82 है0 चारागाह के रूप मे दर्ज है जो नकल जमावंदी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 398 प्रदर्श–10 से स्पष्ट है। भू–प्रबन्ध विभाग को भूमि की गत प्रविष्टियो के अनुसार नवीन प्रविष्टियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

करने का अधिकार है परन्तु वर्तमान मामले में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी को आवंटित भूमि ख0न0 80/3 रकवा 5 बीघा पूर्वानुसार गैर खातेदार के रूप मे मूलसिंह के नाम वर्तमान अभिलेख मे अंकित नही की गई है वल्कि इस 5 बीघा भूमि को वर्तमान ख0न0 145 रकवा 3.82 है0 में शामिल करते हुए चारागाह के रूप मे दर्ज कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है। इसलिए वादी भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये इस गलत इन्द्राज को सही कराने का अधिकारी है।

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा भी अपने जबाब दावे में वादी मूलसिंह को खसरा नम्बर 80/3 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन होना स्वीकार किया गया है, ख0न0 80/3 के मूल नम्बर 80 को चारागाह से सिवायचक दर्ज करने का आदेश जिलाधीश महोदय द्वारा दिया जाना व इसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 82 दर्ज होना अपने जबाब में अंकित किया गया है।

वादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात, मौखिक साक्ष्य एवं प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि भूमि आवंटन की दिनांक 9.11.1975 से वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। वादी को कब्जा दिए जाने के बाद से प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि भूमि आवंटी मूलसिंह को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर भूमि आवंटी मूलसिंह का उसे आवंटित भूमि पर कब्जा संभलाने की दिनांक 9.11.1975 से निरन्तर कब्जा माना जावेगा।

चूंकि भूमि ख0न0 145 रकबा 3.82 है0 (वर्तमान जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 398 के अनुसार रकबा 3.21 है0) ग्राम हिगोटिया वर्तमान में चारागाह भूमि के रूप में दर्ज है एवं वादी ने इस चारागाह भूमि में से खातेदारी प्राप्त करने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि चारागाह भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। फलस्वरूप वादी का वाद अस्वीकार किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार [illegible] में चाही जा रही भूमि ख0न0 145 हाल रकबा 3.21 है0 ग्राम हिगोटिया धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

कारण वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/7/2025 को सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्र.) गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह आयु 70 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम हिंगोट्या हाल निवासी प्लाट नम्बर 154—155, पवनपुरी बाग के बालाजी के पीछे, बैनाडा रोड, झोंटवाडा, जयपुर —वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी
दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेघाज्ञा

मुकदमा नं. —96 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हषवर्धन शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा खातेदारी में चाही जा रही भूमि ख0न0 145 हाल रकबा 3.21 है0 ग्राम हिगोटिया धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/7/25 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			[illegible]		
हुक्मनामा			[illegible]		
मुतफर्रिक			[illegible]		
मीजान			[illegible]		

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)